



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65339

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2436/2026

मोहम्मद शाहनवाज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सचिन मलिक

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन मलिक, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 427/2025, धारा 308(5), थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ में अपनी गिरफ्तारी की आशंका में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता एक साथ व्यापार कर रहे थे और व्यापारिक लेनदेन के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता ने आवेदक के खाते में 1 लाख रुपये स्थानांतरित किए थे। बाद में, उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद उस घटना के संबंध में 25.09.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, इसके पश्चात अगले दिन बदले की कार्रवाई के रूप में प्रथम सूचनाकर्ता ने 26.09.2026 को वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक प्रति-आघात और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। अंत में यह तर्क दिया गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि विवेचना अभी लंबित है और आवेदक के विरुद्ध सामग्री अभी एकत्र की जानी है। इसलिए, आवेदक को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
5. इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और आवेदकों के पूर्ववृत्त पर विचार करते हुए, साथ ही इस तथ्य पर कि आवेदक की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सास ने वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट से पहले प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)- 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार धारा 193 बी.एन.एस.एस. के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत पाने का पात्र है।

6. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक मोहम्मद शाहनवाज को संबंधित विवेचना अधिकारी के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए: -
 - (i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - (iv) आवेदक विवेचना के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (v) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में संलिप्त नहीं होगा।
7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह अग्रिम जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

सी.एस./-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"